

अधीक्षण अभियन्ता (प्रो)

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. निजी निरक्षक/वास्तु विद एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो)/वृत्तचलन-वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता(प्रो)/निर्माण खण्ड-12, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. मंत्र्यालय/समन्वयक/अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. वास्तु स्टाफ अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. माई फाइल हेतु।

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 10.8.2016

3090 / उक्त / 1035(बी)

(प्रसिद्धकृत/प्रतिलिपि)  
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो)

- 1- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित विधिद्वारा के अनुसार करायी जायेगी।
- 2- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई.डी.नंबर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 3- प्राकल्पन में भी गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- 4- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति संश्लेषण सत्र से अलग से प्राप्त करनी होगी।
- 5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय दस्तावेज़िकाओं के संश्लेषण प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- 6- परिचयानामांतरित प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विधिद्वारा को ध्यावल मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधि०अभि०/अधी०अभि० का होगा।
- 7- परिचयानामांतरित प्रस्तावित कार्य की हिरावृत्ति (इंजीनियरिंग) को रोकने की दृष्टि से परिचयाना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न ही स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
- 8- खण्ड द्वारा तैयार की गई/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा। परिचयाना का संश्लेषण स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 9- उक्त द्वारा तैयार की गई/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- 10- उक्त निर्माण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 09 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- 11- कार्य की लागत में आने वाले वृद्धि अनुमान नहीं होगी तथा कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- 12- उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के पुनरीक्षण बजट में प्राविधान सुनिश्चित किया जाय।
- 13- प्रस्तावित कार्य के वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

1-	172007 शाहाबाद योजना, शाहाबाद जनपद-हरदोई में	स्व-वित्त पोषितयोजना के अन्तर्गत 19ला 45/75	प्रकार के सभी फिनिशिंग मयनों का निर्माण कार्य।	117.42	461/1(16-17)
क०प्र०	परियोजना	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	(रु० लाख में)	एवं वित्त स्रोत

दिनांक 01.08.2016 के कम में निम्नलिखित कार्य की प्रशा० एवं वित्तीय स्वी०एलएलएलएल निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

अधीक्षण अभियन्ता, वृत्तचलन वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (प्रो) के अनुमोदन

संख्या / र.बी. / 1035(बी) / प्र.बी. / 1035(बी)

कार्यालय आदेश

104, महारानी गौरी मार्ग, लखनऊ

(अधीक्षण अभियन्ता)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

दिनांक: 10.8.2016